न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

निर्णय दिनांक 3.1.2020

मुकदमा नम्बर 4/2018

मदनसिंह पुत्र अन्नेसिंह राजपूत निवासी दुलचासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर
—————अपीलान्ट

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत दुलचासर 2 कान्ता 3 गोपालसिंह 4 छोटू 5 मैना 6 सुमन पुत्र पुत्रियां मांगीसिंह राजपूत निवासीगण दुलचासर 7 रसालकंवर पत्नी मांगीसिंह राजपूत निवासी दुलचासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 8 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ
———रेस्पोडेन्टस

उपस्थिति—

1. श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की तरफ से ।
2. श्री गोपीराम जानू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 की तरफ से ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2,3,7,8 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
4. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

यह अपील इस न्यायालय में मदनसिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के ाार्इ मांगीसिंह पुत्र अन्नेसहि जाति राजपूत निवासी दुलचासर का स्वअर्जित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर मय गै.मु.रास्ता 0.2000 हैक्टयर रोही गोपालसर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है । अपीलान्ट के भाई मांगीसिंह का देहान्त दिनांक 30.8.2016 को हो चुका है । स्व. मांगीसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर में से 2.53 हैक्टयर पश्चिम दिशा की भूमि मुझ अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की थी । उक्त वसीयत दिनांक 13.12.2015 को कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी श्री डूँगरगढ द्वारा दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति में तस्दीकशुदा है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को शुरू से ही थी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 ने पटवारी हल्का से संपर्क कर अपीलान्ट के वसीयत किये गये हिस्सा को नजर अंदाज कर अपीलाधिन रकबा विरावसतन संपूर्ण अपने नाम दर्ज करवाकर इन्तकाल संख्या 355 भरवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बिना कोई कब्जा व जांच किये इन्तकाल संख्या 355 को प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 7.8.2018 को तस्दीक कर दिया गया से क्षुब्ध होकर यह अपील जानकारी के अन्दर मियाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है —

1. जैर अपील इन्काल संख्या 355 दिनांक 7.8.2018 अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून रूएदाद मिसल, बिना कोई जांच किये पारित होने से काबिले खारिज है ।
2. 2 जैर अपीलरकबा रोही ग्राम गोपालसर के खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर मय गै.मु. रास्ता 0.2000 हैक्टयर अपीलान्ट के भाई मांगीसिंह पुत्र अन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी दुलचासर के नाम राजस्व रिकार्ड में स्वयं अर्जित खातेदारी में दर्ज था । खातेदार मांगीसिंह का देहान्त दिनाक 30.8.2016 को हो चुका । स्व. मांगीसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर मेंसे पश्चिम तरफ की 2.5300 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की थी । उक्त वसीयतनामा दिनांक 13.2.2015 को उपं पंजीयक श्री डूँगरगढ द्वारा दो गवाहान की उपस्थिति में तस्दीकशुदा है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को उक्त वसीयत की जानकारी होते हुए पटवारी हल्का से मिलीभगत कर इन्तकाल 355 दर्ज करवाकर व भू अभिलेख निरीक्षक से सही होना मिलान करवाकर दिनांक 7.8.2018 को ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया लेकिन

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत द्वारा कोई कब्जा व जांच किये एक तरफा तौर पर विरास्तन इन्तकाल संख्या 355 दिनांक 7.8.2018 अपीलान्ट को बिना सूचना दिये रिकार्ड की प्रत्यक्ष त्रुटि करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो साम्य न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से काबिले खारिज है ।

3. जैर अपील इन्तकाल संख्या 355 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाकर 6.8.2018 को भू अभिलेख निरीक्षक से सही होना मिलान करवाकर तस्दीक हेतु दिनांक 7.8.2018 को ग्राम पंचायत दुलचासर के समक्ष पेश किया गया जिस ग्राम पंचायत दुलचासर द्वारा उसी दिनांक को बिना कोई सही जांच किये स्वीकृत आदेश पारित किया जबकि सरपंच ग्राम पंचायत के वसीयत के बारे में पूर्ण जानकारी थी इसलिये वसीयत की जानकारी के उपरान्तम पारित किया गया विधि विरूद्ध आदेश काबिले खारिज है ।

4. जैर अपील इन्तकाल आदेश ग्राम पंचायत दुलचासर दिनांक 7.8.2018 की प्रथम जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु सम्पर्क किया तो दिनांक 17.8.2018 को हुई जिस पर तत्काल दिनांक 21.8.2018 को इंतकाल संख्या 355 दिनाकित 7.8.2018 की नकल ली जाकर आज दिनांक जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है जो पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की पूर्ण मियाद में है ।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत दुलचासर आदेश दिनांक 7.8.2018 इन्तकाल संख्या 355 की पत्रावली तलब की जाकर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर इंतकाल 355 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम रोही गोपालसर के खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर की पश्चिम दिशा की 2.53 हैक्टयर का अपीलान्ट के नाम मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज करने का आदेश रैस्पोडेन्ट संख्या 9 के नाम जारी करे ।

रैस्पोडेन्टस की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण बहस अपीलान्ट इकतरफा सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.2.2015 को वसीयत हो रखी है । ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जानकारी जुटाये इन्तकाल रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया न ही इस बाबत किसी प्रकार का नोट लगाया गया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है ।

आदेश

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत दुलचासर आदेश दिनांक 7.8.2018 इन्तकाल संख्या 355 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम रोही गोपालसर के खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 7.7700 हैक्टयर की पश्चिम दिशा की 2.53 हैक्टयर का अपीलान्ट के नाम मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । रहन मुक्त होने पर पर एवं अपील मियाद गुजर जाने के बाद इन्द्राज हों ।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
श्री डूंगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: